अनुदान संख्या 43 - मत्स्य पालन विभाग
GRANT No. 43 - DEPARTMENT OF FISHERIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2093,90,00	2093,93,00	1358,28,16	-735,64,84
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				733,29,96
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		24,57,00	2,27,62	-22,29,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				18,81,20

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2873.00	2170.40	2147.20	-23.20
पु.	R.	-702.60			
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"				
मत्स्य पालन	Fisheries				
मू.	O.	52676.00	36316.64	36192.17	-124.47
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-16361.36			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	18991.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-18992.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	127700.00	92700.00	92626.88	-73.12
पु.	R.	-35000.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	7150.00	4876.00	4861.91	-14.09
पु.	R.	-2274.00			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹19294.49 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में लिए गए ₹1.49 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹18850 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत रहा :

(I) Provision of ₹19294.49 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.49 lakhs obtained in December 2022) remained wholly unutilised under thirteen heads; of these ₹18850.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "मत्स्यपालन – सामुद्रिक मत्स्यपालन – प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹9100.00 लाख;

(A) "Fisheries - Marine Fisheries - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - ₹9100.00 lakhs;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹1500.00 लाख; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" – ₹8250.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/ योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – मत्स्यपालन विभाग" – ₹725.80 लाख की बचत (₹2873.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृत पदों को नहीं भरे जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान को कम करने और मितव्ययता उपाय करने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2405" – "साम्जुद्रिक मत्स्यपलन" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "ब्लू क्रांति" – ₹2532.02 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹18175.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कार्यान्वयन्कर्ता अभिकरणों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(खा) "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹14169.36 लाख की बचत (₹32300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – केंद्रीय प्रायोजित योजनायें"– बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - ₹1500.00 lakhs; and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - ₹8250.00 lakhs.

Provision under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Fisheries" - saving of ₹725.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2873.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(III) Under Major Head "2405" - "Marine Fisheries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Blue Revolution" - saving of ₹2532.02 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18175.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) was due to non-filling up of vacant posts, availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(B) "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - saving of ₹14169.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32300.00 lakhs);

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹26415.06 लाख की बचत (₹91700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - saving of ₹26415.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹91700.00 lakhs);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹10447.97 लाख की बचत (₹28000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - saving of ₹10447.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28000.00 lakhs); and

(V) मूख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें– केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹1626.70 लाख की बचत (₹6350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - saving of ₹1626.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6350.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों के पास पूर्ववर्ती वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1342.84 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में बचत ₹250.00 लाख से अधिक थी किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under four heads savings of ₹1342.84 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 29 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹1199.49 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में मुख्य शीर्ष "2405" – "सामुद्रिक मत्स्य पालन – मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि" के अंतर्गत ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. (I) The above savings were partly (₹1199.49 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under Major Head "2405" - "Marine Fisheries - Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund".

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना" के अंतर्गत – ₹1789.91 लाख के अधिक व्यय (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में), जो उत्तर पूर्व और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग के कारण हुआ था, द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - excess of ₹1789.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत खंड में बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4405" मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries				
मू.	O.	2457.00			
पू.	S.		575.80	227.62	-348.18
पु.	R.	-1881.20			

(I) "सामुद्रिक मत्स्य पालन – ब्लू क्रांति" के अंतर्गत – ₹2229.38 लाख की बचत (₹2457.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की खरीद नहीं करने और निर्माण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(I) Under "Marine Fisheries - Blue Revolution" - saving of ₹2229.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2457.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery and equipments and requirement of less funds by CPWD towards construction work.